न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
103 / 2024	2024 / 329	05.07.2024	06.04.2026

शीर्षक

उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत, निवासी प्राय दातिल, तहसील पावटा, जिला कोटपरतली–बहरोड, राजस्थान **वादी**

बनाम

1 मालीराम पुत्र श्योनारायण
2 सुरेश पुत्र मालीराम
3 कृष्णा पुत्र मालीराम
4 इमरती देवी पति मालीराम
5 राजेश उर्फ राजु पुत्र मातादीन
6 मिश्री देवी पति मातादीन
7 शकुन्तला देवी पत्नि राजेश उर्फ राजु समस्त जातियान कुम्हार निवासी ग्राम दांतिल, तहसील पावटा, जिला कोटपूनली बहरोड राजस्थान **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 06.04.2026

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा व मुकेश कुमार स्वामी के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 1.26 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा जिला–कोटपूतली बहरोड,राजस्थान स्थित है उपरोक्त आराजी के वादी बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शांतिपूर्वक अपनी आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। जमाबंदी सलंग्न वादपत्र है। वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 या किसी दीगर व्यक्ति का किसी किस्म का कोई लेना देना ताल्लुक वास्ता नही है। मौके पर वादी अपनी आराजी पर आज भी काबिज काश्त है।

2. वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 298 रकबा 1.26 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा जिला–कोटपूतली बहरोड, में वादी की आराजी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी या मजाहमत पैदा ना करे। वादी को आराजी का शांतिपूर्वक कब्जा–काश्त, उपयोग उपमोग करने दें, आराजी में जबरन निर्माण कार्यकर कब्जा ना करें, नींव वंगैरह ना खोदे, वादी को आराजी से बेदखल ना करें, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द– बुर्द ना करें, पेड वगैरह ना काटे। नाही ऐसी कोई धमकी देवें। ना ऐसा प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना अपने किसी नौकर–चाकर, मुख्तयार, एजेन्ट, ठेकेदार आदि से करावें। सदा–सदा केलिए ममनूव बाज रहें।याजो दादरसी न्यायहित मेंहो सादिर फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 से दिलवाया जावे।

3. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया । बावजूद रजिस्टर्ड डाक से तामिल होने के बाद भी प्रतिवादीग सं. 01 लगायत 07 की ओर से कोई उपस्थित नही आने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. पत्रावली साक्ष्य हेतू नियत की गई। वादी की ओर से वादी वकील ने कोई साक्ष्य नही करवा कर सीधी बहस सुनने हेतू निवदेन किया। वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 1.26 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी वादी की स्वयं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिससे प्रतिवादीगण को कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही है। प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, वादी को शांतिपूर्वक खेतीबाड़ी करने देवे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सुसंगत अध्ययन कर मूल्यांकन किया गया। वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा वादपत्र में वर्णित आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी की काबिज काश्त की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना या ताल्लुक वास्ता नही है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5. अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 1.26 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी में किसी प्रकार से कब्जा करने या कच्चा–पक्का निर्माण कार्य ना करे, वादी की खेतीबाड़ी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

पावटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
103 / 2024	2024 / 329	05.07.2024	06.04.2026

शीर्षक

उम्मेदसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत, निवासी प्राय दातिल, तहसील पावटा, जिला कोटपरतली—बहरोड, राजस्थान **वादी**

बनाम

1 मालीराम पुत्र श्योनारायण
2 सुरेश पुत्र मालीराम
3 कृष्णा पुत्र मालीराम
4 इमरती देवी पति मालीराम
5 राजेश उर्फ राजु पुत्र मातादीन
6 मिश्री देवी पति मातादीन
7 शकुन्तला देवी पत्नि राजेश उर्फ राजु समस्त जातियान कुम्हार निवासी ग्राम दांतिल, तहसील पावटा, जिला कोटपूनली बहरोड राजस्थान **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को स्थाई अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 1.26 वाके मौजा जीणगौर तहसील पावटा जिला कोटपूतली—बहरोड स्थित आराजी में किसी प्रकार से कब्जा करने या कच्चा—पक्का निर्माण कार्य ना करे, वादी की खेतीबाड़ी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आज दिनांक 06.04.2026 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	